संख्याः–1966 / XXVIII–5–2010–129 / 2008

प्रेषक,

डॉ0 उमाकन्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 13 अक्टूबर, 2010

विषयः जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली टी0बी0 सैनेटोरियम में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्वामित्व वाली भूमि में से 0.563 है0 (1.5 एकड़) भूमि आयुर्वेद विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–1598 / XXVIII–5–129 / 2008 दिनांक 30–08–2010 के द्वारा भवाली टी0बी0 सैनेटोरियम के अधिपत्य में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्वामित्व वाली 10 एकड़ भूमि आयुष ग्राम की स्थापना हेतु आयुर्वेद विभाग को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश को अतिक्रमित करते हुये नैनीताल के भवाली टी0बी0 सैनेटोरियम की भूमि में से खसरा नं0–176 रकवा 0.049 है0, खसरा नं0–128 रकवा 0.024 है0, खसरा नं0–181 रकवा 0.05 है0, खसरा नं0–182 रकवा 0.088 है0, खसरा नं0–177 रकवा 0.011 है0, खसरा नं0–121 रकवा 0.023 है0, खसरा नं0–190 रकवा 0.013 है0, खसरा नं0–174 रकवा 0.003 है0, खसरा नं0–179 रकवा 0.053 है0, खसरा नं0–175 रकवा 0.011 है0, खसरा नं0–120 रकवा 0.013 है0, खसरा नं0–122 रकवा 0.040 है0, खसरा नं0–178 रकवा 0.068 है0, खसरा नं0–180 रकवा 0.024 है0, खसरा नं0–188 रकवा 0.029 है0, खसरा नं0–189 रकवा 0.019 है0, खसरा नं0–191 रकवा 0.006 है0, खसरा नं0–123 रकवा 0.010 है0, खसरा नं0–185 रकवा 0.020 है0, खसरा नं0–187 रकवा .009 है0 अर्थात कुल रकवा 0.563 है0 (1.50 एकड़) भूमि आयुष ग्राम की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत भूमि में निर्मित आवासों के अधिकृत अध्यासियों के पुनर्वास का दायित्व आयुर्वेद विभाग का होगा।
2. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा एतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
3. जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।
4. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न परियोजन के लिये उपयोग की जाय, तो उसके लिये चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, सोसायटी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

7. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

8. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब सक्षम अधिनियम के अन्तर्गत नियम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

9. प्रस्तावित भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने की दशा में नियमानुसार वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही, सक्षम प्राधिकारी स्तर से पूर्व में सुनिश्चित कर ली जायेगी।

कृपया, तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या–1966 (1)/XXVIII–5–2010–129/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
5. निदेशक, आयुष विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

13/02